(c) the time frame therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The divergence of views was mainly on the following points:—

(i) Whether the Union Government can issue show cause notice in exceptional circumstances without the Governor's report.

(ii) Need for provision to invoke article 256 without notice if the State Government encourages action posing threat to.

(a) secular fabric of society.

(b) national security and integrity.

(iii) Whether approval of Parliament should precede or follow the Proclamation.

(iv) Whether approval should be with simple or two-thirds majority.

Efforts will continue to evolve a consensus on the issue.

Transfer of Cases of Killings from Ghaziabad to Meerut

84. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government had given any direction to the Government of Uttar Pradesh to transfer the cases relating to killings of 25 persons of Hashimpura, U.P. from Ghaziabad to Meerut;

(b) if so, the details thereof and the response of the Government of U.P. in regard thereto; and

(c) the Central Government's reaction in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) In June, 1997 a suggestion was received that the case relating to the killings at Hashimpura be transferred to Meerut. The Government of Uttar Pradesh was asked to consider the matter. The State Government however, feels that it will not be desirable to transfer the case in view of its sensitivity.

राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

85. श्री इकबाल सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश की ऐसी दुर्दशा के लिए जातिवाद, भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद तथा राजनीति का अपराधीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है; और

(ग) यदि हां, तो इन सभी विकृतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है ताकि देश में स्थिति सामान्य की जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। जम्मू एवं कश्मीर, असम एवं पूर्वोत्तर में कानून एवं व्यवस्था की अशांत स्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि ये राज्य, सीमा पार से प्रायोजित एवं समर्थित आतंकवादी, विध्वंसक गतिविधियों द्वारा प्रभावित है।

(ग) स्थिति पर कड़ी और लगातार नजर रखी जा रही है और आतंकवादी एवं विध्वंसक तत्वों के खिलाफ सतत अभियान चलाने सहित सभी जरूरी कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाते हैं कि प्रभावित राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। राज्य और केन्द्र दोनों ही सरकारें इन राज्यों में शांति एवं स्थिरता लाने के लिए सतत आधार पर जरूरी उपाय कर रही है। संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" एवं "पुलिस" राज्य के विषय है। इस लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की है। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उपाय खोजने और उपयुक्त उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों के संपर्क में रहती